



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार के
वन विभाग के प्रभागों की कार्य प्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2024-25



उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	5
2	संस्तुतियाँ	7
3	परिचयात्मक	9-12
4	मासिक रोकड़ लेखा की प्रस्तुति में विलम्ब (अनुलग्नक-1 एवं 2)	13
5	लेखों का मिलान (अनुलग्नक-3)	14-15
6	मासिक रोकड़ लेखे में सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ (अनुलग्नक 4 से 6)	15-17
7	सा0भ0नि0 से संबंधित एवं ऋणात्मक अवशेष (अधिक भुगतान) के मामले (अनुलग्नक-7)	17-18
8	वन विभाग का वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक का तुलनात्मक व्यय का विवरण (अनुलग्नक-8), लेखा परीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियाँ एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण अधिनियम-2016	19-21
9	अनुलग्नक 1-8	22-43

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य के वन विभाग के प्रभागों की वर्ष 2024-25 के लेखों तथा कार्य प्रणाली की इस कार्यालय द्वारा की गयी समीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। इस कार्यालय द्वारा वन विभाग के 124 प्रभागों एवं 77 कोषागारों से प्राप्त लेखों का संकलन किया जाता है। इस समीक्षा का उद्देश्य वन विभाग के लेखों के रख-रखाव में गुणवत्ता एवं शुद्धता में सुधार लाना है। इस हेतु लेखों के रख-रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीभूत किया गया है।

हम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रस्तुत समीक्षा वन विभाग को और अधिक कार्यदक्ष बनाये रखने के साथ भविष्य में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में प्रेरणादायी सिद्ध होगी। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में इंगित अनियमितताओं के सुधार हेतु वन विभाग को शासन स्तर से उचित निर्देश की भी अपेक्षा है।



(डा० सुरेन्द्र कुमार)

महालेखाकार

प्रयागराज
दिनांक :

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)
उ०प्र०, प्रयागराज

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखे में वन विभाग के प्रभागों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आँकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रभागों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित प्रभागों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में प्रभागों के लेखों के सुधार एवं गुणवत्ता में वृद्धि की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किये जाने चाहिए।

1. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-201 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-7 के प्रस्तर-200 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक लेखा शून्य होने की स्थिति में भी समस्त प्रपत्रों सहित लेखा प्रपत्र ई-7 पर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. शासनादेश सं० बी-963/दस-2001 दिनांक 16.04.2001 एवं संख्या बी-1-3706/दस-2004 दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रभाग को करेक्टर राजस्व प्राप्तियों को राजस्व पक्ष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।
4. इस कार्यालय परिपत्र सं० व०स०प्र०/म०लेखा/356 दिनांक 11.12.2002 में निर्धारित अवधि तक प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों का मिलान कराया जाना चाहिए।
5. मासिक लेखे के साथ समेकित कोषागार रसीद (CTR) एवं समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) उपलब्ध कराना चाहिए।
6. पूर्व वर्षों के वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में महालेखाकार कार्यालय द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उ०प्र०,

20, सरोजनी नायडू मार्ग

प्रयागराज-211001,

दूरभाष :- 0532 — 2622625, 2622628



वर्ष 2024-25 की वन विभाग की कार्यप्रणाली पर समीक्षा :-

परिचयात्मक

वन विभाग की संरचना के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश वन विभाग के प्रमुख हैं तथा वन विभाग के मामलों में राज्य सरकार के प्रमुख तकनीकी सलाहकार हैं। इनकी सहायता के लिए प्रमुख वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्य योजना उ०प्र०, प्रमुख वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उ०प्र०, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उ०प्र० लखनऊ है। इसके अतिरिक्त निम्न अपर प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक (प्रशासनिक इकाई के रूप में) हैं।

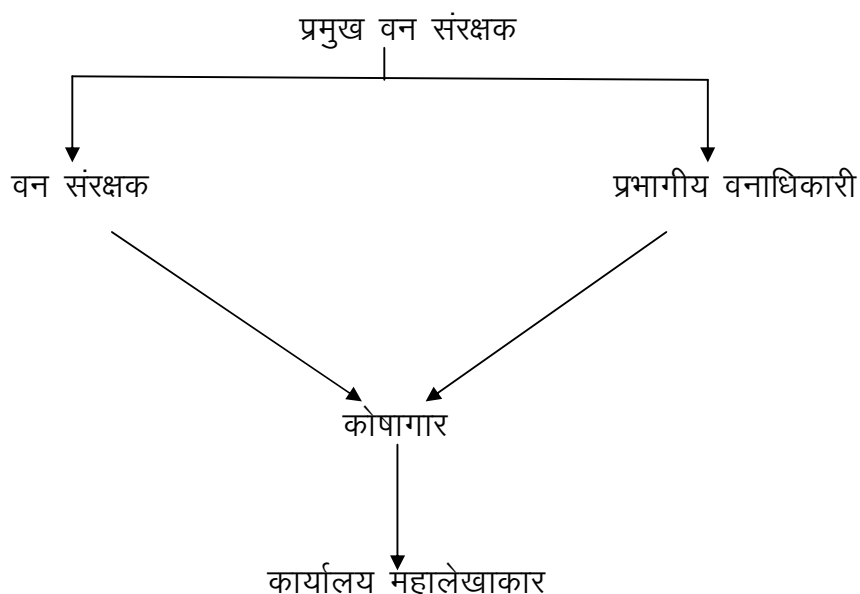
- (क) (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना अनुसंधान एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
- (2) अपर प्रमुख वन संरक्षक/निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान कानपुर।
- (3) अपर प्रमुख वन संरक्षक/निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर।
- (4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ।
- (5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक परियोजना उ०प्र० लखनऊ।
- (6) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी उ०प्र० लखनऊ।
- (7) अपर प्रमुख वन संरक्षक जैव विविधता उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक लेखा परीक्षक एवं गैर योजना लखनऊ।
- (9) अपर प्रमुख वन संरक्षक आगरा क्षेत्र।
- (10) अपर प्रमुख वन संरक्षक प्रोजेक्ट टाइगर लखनऊ।
- (11) अपर प्रमुख वन संरक्षक जलागम प्रबन्धन/ग्रीन इण्डिया मिशन लखनऊ।
- (12) अपर प्रमुख वन संरक्षक पौधशाला प्रबंधन लखनऊ।

- (ख)
- (1) मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल।
 - (2) मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर मण्डल।
 - (3) मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल।
 - (4) मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल।
 - (5) मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ।
 - (6) मुख्य वन संरक्षक रुहेल खण्ड क्षेत्र बरेली।
 - (7) मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी क्षेत्र मेरठ।
 - (8) मुख्य वन संरक्षक दक्षिणी क्षेत्र, प्रयागराज।
 - (9) मुख्य वन संरक्षक परिस्थितिकीय विकास लखनऊ।
 - (10) मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव लखनऊ।
 - (11) मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी।
 - (12) मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव (पूर्वी) गोण्डा।
 - (13) मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड क्षेत्र झाँसी।
 - (14) मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर।
 - (15) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक कानपुर।
 - (16) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक बरेली।
 - (17) मुख्य वन संरक्षक/वन वर्धनिक वाराणसी।
 - (18) मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ।
 - (19) मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबन्ध लखनऊ।
 - (20) मुख्य वन संरक्षक नियोजन लखनऊ।
 - (21) मुख्य वन संरक्षक परियोजना उ०प्र० लखनऊ।
 - (22) मुख्य वन संरक्षक (कोर्ट केस) लखनऊ।
 - (23) मुख्य वन संरक्षक प्रशासन उ०प्र० लखनऊ।
 - (24) मुख्य वन संरक्षक राज्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
 - (25) मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं लेखापरीक्षा लखनऊ।
 - (26) मुख्य वन संरक्षक कैम्पा लखनऊ।
 - (27) मुख्य वन संरक्षक भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त लखनऊ।
 - (28) मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं सतर्कता लखनऊ।

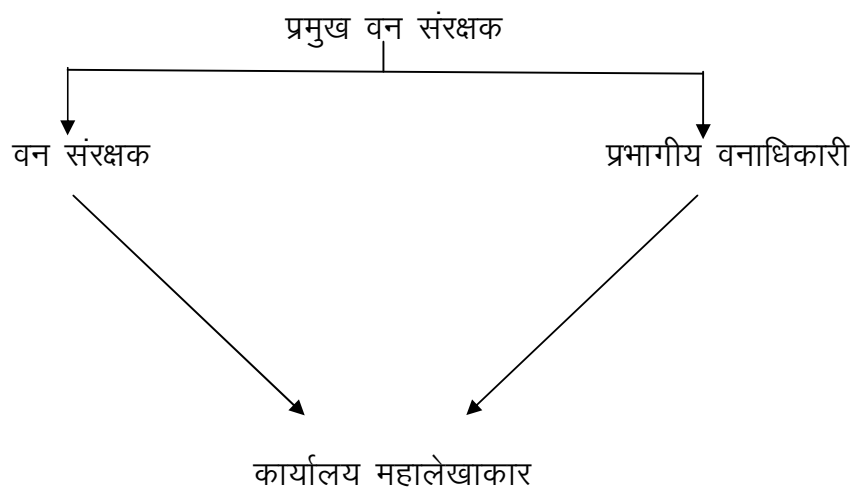
- (29) मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) लखनऊ।
- (30) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) लखनऊ अराजपत्रित।
- (31) मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) लखनऊ राजपत्रित।
- (32) मुख्य वन संरक्षक (प्रचार-प्रसार एवं जन सम्पर्क) लखनऊ।
- (33) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ।
- (34) मुख्य वन संरक्षक (नीति विश्लेषण एवं समन्वय) लखनऊ।
- (35) मुख्य वन संरक्षक वन उपयोग अधिकारी, उत्पादन लखनऊ।
- (36) मुख्य वन संरक्षक (कोर्ट केस) प्रयागराज।
- (37) मुख्य वन संरक्षक/स्टाफ ऑफिसर प्रमुख वन संरक्षक एवं हैड ऑफ फॉरेस्ट लखनऊ

वर्तमान में वन विभाग में 32 वृत्त एवं 92 प्रभागों सहित कुल 124 वृत्तों/प्रभागों से मासिक लेखे प्राप्त होते हैं।

कोषागार से प्राप्त मासिक लेखे (कोषागार प्रणाली) का फ्लो चार्ट



प्रभागों से प्राप्त मासिक लेखे (DCL) का फ्लो चार्ट



वन एवं वन्य जीव विभाग में CCL प्रणाली का कोषागार प्रणाली में परिवर्तन

प्रदेश के वन एवं वन्य जीव विभाग में पूर्व में अधिष्ठान मदों का संचालन कोषागार प्रणाली के माध्यम से तथा अधिष्ठान मदों से भिन्न कार्य मदों के व्यय CCL प्रणाली से आच्छादित थे। उ0प्र0शासन वित्त (लेखा) अनुभाग-2 संख्या 1/2020/ए-2-118/दस 2020-10(9)/95 दिनांक 18.03.2020 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा 01.04.2020 से वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य मदों के व्यय को भी कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया तथा वन एवं वन्यजीव विभाग की जमा साख सीमा (DCL) की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न करते हुये यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

वार्षिक समीक्षा का उद्देश्य –

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा प्रेषित मासिक लेखे एवं कोषागार से प्राप्त उक्त विभाग के मासिक लेखे की समीक्षा कर उनमें व्याप्त विसंगतियों का संक्षिप्त विवरण तैयार कर उचित सुधार हेतु कार्यालय स्तर पर प्रयत्न करना तथा संबन्धित विभाग के उच्च अधिकारियों को व्याप्त विसंगतियों से अवगत कराना तथा सुधार हेतु आवश्यक प्रयत्न करना तथा प्रोत्साहित करना है।

वन विभाग की लेखाकार्य प्रणाली पर वर्ष 2024-25 की वार्षिक समीक्षा के मुख्य बिन्दु:-**1.(अ) मासिक रोकड़ लेखा की प्रस्तुति में विलम्ब**

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-7 के पैरा 201 के अनुसार किसी भी वृत्त/प्रभाग का मासिक लेखा अगले माह की अधिकतम 10 तारीख तक तथा माह मार्च का लेखा 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा विलम्ब के कारण सूचित करना चाहिए परन्तु समीक्षा में पाया गया कि विलम्ब के कारणों को किसी भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया गया।

वर्ष 2024-25 में अधिकांश लेखों के प्राप्त होने में एक से छः दिनों का विलम्ब हुआ। छः दिन तक विलम्ब से प्राप्त होने वाले लेखों को विशेष प्रयास द्वारा उसी माह के लेखे में सम्मिलित किया गया। ऐसे मासिक लेखों की स्थिति **अनुलग्नक-1** में दी गयी है।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रभागों के मासिक लेखे वित्तीय वर्ष में 4 अथवा अधिक माहों में विलम्ब से प्राप्त हुए हैं। ऐसे मासिक लेखों की स्थिति **अनुलग्नक-2** में संलग्न है।

(ब) लेखों का मिलान

शासनादेश सं० ए-2-47/दस-97-10(9)95 दिनांक 03 मार्च 1997 के अनुसार अधिष्ठान मदों के व्यय का संचालन कोषागार प्रणाली से आच्छादित किया गया एवं वन विभाग के कार्यमदों के व्यय को पूर्व की भाँति सी०सी०एल० प्रणाली से ही किया जाता था। शासनादेश सं०-1/2020ए-2-118/10-2020-10(9)/95 दिनांक 18 मार्च 2020 के अनुसार अप्रैल-2020 से वन विभाग के कार्यमदों के व्यय का संचालन सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त करते हुए समस्त व्ययों का संचालन अन्य विभागों में प्रचलित ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली से आच्छादित कर दिया गया। इस प्रकार जमा साख सीमा के अन्तर्गत होने वाले व्यय के आँकड़ों का मिलान प्रभागों द्वारा कराया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली के तहत किये जाने वाले व्यय के आँकड़ों का मिलान नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(i) जमा साख सीमा के अन्तर्गत व्यय के आँकड़ों का मिलान :-

वन विभाग के समस्त वृत्त/प्रभागों द्वारा जमा साख सीमा के अन्तर्गत आय/व्यय के आँकड़ों का मिलान इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड किये किये गये आँकड़ों से प्रत्येक तिमाही करने की प्रक्रिया निर्धारित है तथा आँकड़ों के मिलान के उपरान्त किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में इस कार्यालय को भिन्नता सम्बन्धी आँकड़े पूर्ण साक्ष्य सहित अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से प्रेषित किये जाने चाहिए ताकि इस कार्यालय में भी अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से लेखों में सुधार किया जा सके एवं भिन्नता न होने की स्थिति में भी इस कार्यालय को व्यय के आँकड़ों सहित मिलान किये जाने की सूचना प्रेषित करना चाहिए ताकि लेखा मिलान प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। किन्तु कई वनाधिकारियों द्वारा लेखों की भिन्नता/मिलान सम्बन्धी कोई टिप्पणी इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी। डी०सी०एल० आँकड़ों का मिलान न प्रेषित करने वाले प्रभागों की स्थिति **अनुलग्नक-3** में संलग्न है।

अतः नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त वृत्त/प्रभागों के सम्बन्धित लेखाकारों/वरिष्ठ सहायकों को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है कि त्रैमासिक आधार पर इस कार्यालय की वेबसाइट <http://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड किये गये पुस्तांकित आँकड़ों से विभागीय आँकड़ों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिलान करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में मिलान सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करें।

(ii) कोषागार प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त लेखों का मिलान :-

शासनादेश सं० ए-2-47/दस-97-10(9) 95 दिनांक 03 मार्च 1997 के अनुसार वन एवं वन्य जीव विभाग के अधिष्ठान मदों एवं शासनादेश सं०-1/2020/ए-2-118/दस-2020-10(9)/95 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से कार्यमदों हेतु भी ऑनलाइन बजट आवंटन व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली लागू कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत उ०प्र०, बजट मैनुअल के प्रस्तर-124 के अनुसार कोषागार से प्राप्त वन विभाग के लेखे कार्यालय महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित किये जायेंगे एवं महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आँकड़ों से विभाग के आँकड़ों का मिलान नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग के नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा अनुदान संख्या 10, 60, 81, 83 के अन्तर्गत व्यय लेखाशीर्ष 2406, 2407, 4406 एवं प्राप्ति लेखाशीर्ष "0406" के आँकड़ों का महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट <http://www.cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर अपलोड आँकड़ों से मिलान कर इस कार्यालय को सूचित किया गया।

2. मासिक रोकड़ लेखों में पायी गयी सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ –**(अ) त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण**

समीक्षा में पाया गया है कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा मासिक लेखों में पूर्ण वर्गीकरण एवं विवरण नहीं दिया जाता है तथा कहीं-कहीं पर अस्पष्ट विवरण के साथ त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण दिया जाता है। मासिक लेखा एवं उससे संबन्धित सभी अभिलेखों पर पूर्ण विवरण एवं सम्पूर्ण वर्गीकरण अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(ब) अन्य सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ –

1. मासिक लेखा तैयार करते समय इस कार्यालय द्वारा प्रभागों को आवंटित कोड संख्या (FRD CODE) भी अवश्य **BOLD** Letters में लिखा जाना चाहिए किन्तु कुछ प्रभागों द्वारा FRD CODE अंकित नहीं किये जाते हैं।
2. मासिक लेखे के साथ निम्नलिखित प्रपत्र (I) ई-6 (II) ई-11 (III) ई-13 (IV) FAR-23 (V) ई-11(A) (VI) ई-14 संलग्न नहीं किये जाते हैं।
3. मासिक लेखे के साथ प्रेषित प्रपत्र में अंकित विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किये जाते हैं।
4. वर्गीकृत सार में दिये विवरणों के अनुसार प्रमाणक संलग्न नहीं किये जाते हैं।
5. वर्गीकृत सार में ए०जी० प्रमाणक संख्या एवं सारांश का विवरण अंकित नहीं किये जाते हैं।
6. व्यय के सारांश के अन्त में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं।
7. मासिक लेखा प्रपत्र ई-7 पर नहीं तैयार किये जाते हैं।

8. वन प्रेषण (पार्ट-01) के अन्तर्गत जमा चालानों की सूची/चालान मासिक लेखे के साथ नहीं प्रेषित किये जाते हैं।
9. मासिक लेखे के साथ समेकित कोषागार रसीद (CTR) एवं समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) नहीं प्रेषित किये जाते हैं।
10. माह के दौरान प्रपत्र ई-13 लेजर में असमायोजित धनराशि का स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया जाता है।
11. मासिक लेखे ई-मेल से प्राप्त होते हैं किन्तु मूल लेखे समस्त प्रमाणकों सहित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होते हैं।

विवरण **अनुलग्नक-4** पर प्रदर्शित हैं।

(स) बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

(i) वन जमा बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

2024-25 में लेखाशीर्ष "8443" वन जमा के वृहत पत्र में विभिन्न प्रभागों में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक है जबकि वन जमा शीर्ष के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक अवशेष के सम्बन्ध में मासिक रोकड़ लेखों की समीक्षा में पाया गया कि मासिक लेखों के साथ फार्म-FAR-23 कुछ प्रभागों द्वारा नहीं प्रेषित किया जाता है जिससे माह के प्रारम्भ में लेखाशीर्ष "8443" का कुल प्रा0 अवशेष व माह के अन्त में कुल अन्तिम अवशेष ज्ञात नहीं हो पाता जिससे कि वृहत पत्र में दर्ज अवशेषों से मिलान किया जा सके। वृहत पत्र में ऋणात्मक अवशेषों का निराकरण किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में सभी प्रभागों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वन जमा ऋणात्मक अवशेष दर्शाने वाले प्रभागों की सूची **अनुलग्नक-5** में संलग्न है।

(ii) वन अग्रिम बृहतपत्र सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्ष 8550-00-101 वन अग्रिमों के वृहतपत्र में विभिन्न प्रभागों में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक है जबकि वन अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अवशेष ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जिन प्रभागों में वन अग्रिम के वृहतपत्र में अन्तिम अवशेष ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहे हैं उन प्रभागों से ऋणात्मक होने के कारणों का पता कर उनका निराकरण किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में सभी प्रभागों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वन अग्रिम ऋणात्मक अवशेष दर्शाने वाले प्रभागों की सूची **अनुलग्नक-6** में संलग्न है।

(iii) वन प्रेषण लेखाशीर्ष सम्बन्धी त्रुटियाँ :-

लेखाशीर्ष 8782-नकद प्रेषण-00-103-वन प्रेषण-01-कोषागार में प्रेषण के अन्तर्गत धनराशि डेबिट की जाती है जबकि यह धनराशि कोषागार के लेखे में क्रेडिट की जाती है। इसी प्रकार प्रभागों के लेखे में लेखाशीर्ष 8782-नकद प्रेषण-00-103-वन प्रेषण-02-वन चेक्स/ई-टोकन के अन्तर्गत धनराशि क्रेडिट की जाती है जबकि चेक्स/ई-टोकन की भुगतान की धनराशियों को कोषागार अपने लेखे में डेबिट करता है।

वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के समाधान हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अनुसार कोषागारों द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रत्येक माह के अनुगामी माह की चार तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (CTR) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (CTI) उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (भाग-2) के प्रस्तर-650 एवं शासनादेश सं0 ए-2-1967/दस-सासी-83/14(6)/183 दिनांक 15.07.1983 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ई-पेमेन्ट प्रणाली लागू होने के पश्चात लेखाशीर्ष 8782 में अनिस्तारित धनराशियों के निस्तारण में प्रगति पायी गयी है जबकि पूर्व की डेबिट एवं क्रेडिट दोनों ही पक्षों की धनराशियाँ अनिस्तारित हैं।

अतः उपरोक्त लेखाशीर्ष में अनिस्तारित धनराशियों के निस्तारण सहित प्रत्येक मासिक लेखे के साथ (CTR) एवं (CTI) की प्रति संलग्न करने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रभागीय वनाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

3. वन विभाग से संबंधित सामान्य भविष्य निधि के विषयक:-**(अ) नये सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या का आवंटन :-**

वर्ष 2024-25 में सामान्य भविष्य निधि में माह 04/2024 से 03/2025 तक कुल-23 नये कर्मचारियों/अधिकारियों को खाता संख्या आवंटित किया गया। ये अभिदाता वर्ष 2005 से पूर्व सेवा में आये हैं, तथा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के उपरान्त सा0भ0नि0 खाता संख्या आवंटित किये गये हैं।

(ब) अंतिम भुगतान सामान्य भविष्य निधि के मामले :-

शासनादेश संख्या एस0ए0-4-ए0जी0 57/तीन-84 दिनांक 5.10.1984 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आगामी एक वर्ष छः माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची महालेखाकार कार्यालय को भेजनी चाहिए तथा उनकी पासबुक का मिलान महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से कराना चाहिए, किन्तु कुछ मामलों में पासबुक के मिलान की कार्यवाही हेतु प्रकरण सेवानिवृत्ति से पूर्व विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त अभिदाताओं की पासबुक में कॉलम तीन एवं चार में क्रमशः कोषागार वाउचर संख्या एवं दिनांक तथा वाउचर की धनराशि की प्रविष्टि नहीं की जा रही है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा लिये गये आहरण/अग्रिम लेने अथवा नहीं लेने की दशा में स्पष्ट प्रविष्टि पासबुक के डेबिट कालम में की जानी चाहिए तथा उसका सत्यापन भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2024-25 में अंतिम भुगतान के कुल 340 प्रकरण प्राप्त हुये जिसमें से 328 प्रकरणों को दिनांक 31.03.2025 तक आवश्यक कार्यवाही के पश्चात निस्तारित कर दिया गया।

(स) सा0भ0नि0 से संबंधित ऋणात्मक अवशेष (अधिक भुगतान) के मामले :-

शासनादेश संख्या जी0-4/ए0जी0/57/तीन-84510-84 दिनांक 26.12.84 के अनुसार आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अभिदाताओं की पासबुक का महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों से मिलान कराये बिना अभिदाताओं के खातों में जमा राशि का 90% भुगतान कर दिया गया तथा शेष 10% धनराशि के भुगतान हेतु प्रकरण भेजे गये हैं। वर्ष 1991-92 से 2024-25 तक शेष 20 प्रकरणों में अभी रू0 350159/- की वसूली होनी है जिसके लिये शासन स्तर एवं प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर पत्राचार किया गया है। **अनुलग्नक-7** पर ऋणात्मक प्रकरणों की सूची प्रस्तुत है। संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को वसूली हेतु निर्देश निर्गत होना अपेक्षित है।

(द) प्रत्येक माह कुछ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के शिड्यूल में सा0भ0नि0 खाता संख्या गलत लिखे या अंकित नहीं होते हैं जिससे इन अभिदाताओं का मासिक अभिदान उनके सही खाते में अंकित नहीं हो पाता है तथा अनिस्तारित धनराशि पड़ी रहती हैं। सा0भ0नि0 अशंदान की राशि अभिदाता के सही खाते में अंकित हो, इस सम्बन्ध में आहरण/वितरण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना अपेक्षित है।

4. आय-व्यय का तुलनात्मक विवरण –

वन एवं वन्य जीव विभाग का वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक आय-व्यय का तुलनात्मक विवरण अनुदान वार एवं मद वार तैयार किया गया तथा देखा गया कि अधिकांश मद में विभाग द्वारा आवंटित बजट से कम व्यय किया गया है। आय-व्यय का तुलनात्मक विवरण **अनुलग्नक-8** में संलग्न है।

5. लेखा परीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियाँ –

- केन्द्रीय लेखा परीक्षा में पायी गयी आम किस्म की अनियमितताएं श्रमिकों के भुगतान से सम्बन्धित हैं तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की आयकर/भविष्य निधि की कटौती से सम्बन्धित हैं।
- वर्ष 2024-25 में कुल 42 आपत्तियों का जवाब मांगा गया था जिसमें से 10 आपत्तियों का ही जवाब प्राप्त हुआ।
- वन मण्डलों की स्थानीय लेखा परीक्षा (वर्ष 2024-25) की अनियमितताओं की सूची-

क्रम सं०	वांछित सूचना	विवरण
1.	लेखा परीक्षा में पाई गयी आम किस्म की अनियमितताएं	(i) लीज डीड निष्पादित न किये जाने से लीज प्रीमियम एवं लीज रेंट की वसूली अप्राप्त रहना। (ii) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि वसूल न किया जाना एवं कम आरोपित किया जाना। (iii) वन जमा निधि में वृक्षारोपण न करके धनराशि अवरुद्ध रखना। (iv) वन अपराध/एच-2 प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब के कारण राजस्व वसूल नहीं होना। (v) Centage Chargesa अधिरोपित न किया जाना। (vi) राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में कमी। (vii) वन भूमि के रूप में घोषित भूमि का बन्दोबस्त न होना। (viii) वन भूमि के अतिक्रमण को खाली न कराया जाना। (ix) वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही एवं मार्च में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय। (x) प्रभाग की कार्ययोजना का समय पर अनुमोदित न किया जाना।
2.	ऐसी आपत्तियों का विवरण जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं	-----
3.	वन मंडलों की स्थानीय लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण अनियमिततायें	-----

6. प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम-2016 :-

केन्द्रीय सरकार के प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम-2016 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात, राज्य निधि के प्रावधान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि की स्थापना की गयी जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण के पास राज्य के निक्षेप से प्राप्त धनराशि की 90% धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य लेखाशीर्ष 8336-सिविल निक्षेप लघुशीर्ष 102-राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निक्षेप से राज्य के लोक लेखा में मुख्य लेखाशीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ लघुशीर्ष 129-राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि में अगस्त-2019 में सर्वप्रथम रु0 18196267880.00 (अट्ठारह अरब उन्नीस करोड़ बासठ लाख सरसठ हजार आठ सौ अस्सी मात्र) स्थानान्तरित किया गया।

उक्त अधिनियम के अनुसार राज्य निधि में अवशेष धनराशि अव्ययगत होगी और वर्षानुवर्ष आधार पर राज्य सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त करेगी।

निधि से व्यय हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग के अनुदान में लेखाशीर्ष 2406-04-103 के सम्बन्धित उपशीर्ष में बजट का प्रावधान तथा निधि (मुख्य शीर्ष 8121-129-राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि) से लेखा समायोजन हेतु अनुदान के लेखाशीर्ष 2406-04-904 के सम्बन्धित उपशीर्ष में ऋणात्मक डेबिट हेतु समतुल्य धनराशि का प्रावधान किया जायेगा।

लेखाशीर्ष 8121-00-129 में उ. प्र. सरकार के लेखे में व्यय पुस्तान्तिकित धनराशि के उपरांत उपलब्ध अवशेष धनराशि का वर्षवार विवरण :-

वित्तीय वर्ष	प्रा.अवशेष(रु.)	प्राप्ति(रु.)	व्यय(रु.)	अवशेष(रु.)
2019-20	शून्य	18196267880	623154301	17573113579
2020-21	17573113579	शून्य	2520558775	15052554804
2021-22	15052554804	364575284	3589528108	11827601980
2022-23	11827601980	316633000	2317442318	9826792662
2023-24	9826792662	4673475346	1668389332	12831878676
2024-25	12831878676	5200847995	1466964872	16565761799

उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वीकृति आदेश NA-17/1/2024-NA दिनांक 09.06.2025 एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त क्लियरेंस मेमो के अनुसार धनराशि रु0 98,45,19,952/- को लेखाशीर्ष

8121-00-129 के उपशीर्ष 05 में उ0प्र0 सरकार के लेखे में स्थानान्तरित कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 में राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि हेतु 3.35 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की गई है। कैम्पा अधिनियम 2016 के अनुसार राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (SCAF) में यूजर एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को जमा कराये जाने हेतु राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण जमा (SCAD) के लेखाशीर्ष 8336-00-103 को कार्यान्वित किये जाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र प्रेषित किया गया है।

वर्ष 2024-25 में अन्य व्यय के साथ-साथ कैम्पा निधि से व्यय की गयी धनराशि का इस कार्यालय में पुस्तांकित धनराशि से नियन्त्रक अधिकारी द्वारा मिलान कराया गया।

अतः यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष व्यय की गयी धनराशि का नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रत्येक तिमाही मिलान कराया जाना जारी रखा जाए एवं अवशेष धनराशि पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर से ब्याज की गणना कर राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि में जमा कराया जाए। इसके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक से यह अपेक्षित है कि राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण जमा (SCAD) के लेखाशीर्ष 8336-00-103 को कार्यान्वित कर इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

अनुलग्नक-1

वर्ष 2024-25 में विलम्ब से मासिक लेखे प्रेषित करने वाले प्रभागों की सूची

(माह की 10 तारीख अथवा उसके बाद प्राप्त हुए मासिक लेखे)

क्रम सं०	कोड	प्रभागों के नाम	माह											
			APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR
1	11	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर										12/02	11/03	
2	12	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़											11/03	
3	14	प्रभागीय वनाधिकारी कौशांबी वन प्रभाग कौशांबी	13/05											
4	21	प्रभागीय वनाधिकारी वन संसाधन सर्वेक्षण प्रभाग उ०प्र० लखनऊ		14/06								13/02		
5	41	प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग लखनऊ							12/11				12/03	17/04
6	42	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग रायबरेली												16/04
7	43	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग उन्नाव										12/02	12/03	
8	44	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर						11/10		12/12		12/02		
9	45	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई							12/11	11/12			11/03	
10	46	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग/उपनिदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी							12/11				11/03	
11	47	प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी						11/10	12/11			12/02		17/04
12	52	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया	15/05											17/04
13	53	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मऊ				12/08				11/12			11/03	
14	62	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी	13/05			13/08			12/11	12/12				21/04
15	63	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा			12/07	12/08		11/10		12/12			11/03	17/04
16	64	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा	15/05		12/07	13/08			12/11				11/03	

17	65	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़			12/07			12/11			12/02	11/03	16/04
18	66	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद						11/11				11/03	
19	67	प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस	15/05		12/07								16/04
20	71	प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर				12/08		11/11	12/12				
21	72	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर			12/07			13/11				12/03	
22	73	उप वन संरक्षक झॉंसी वन प्रभाग झॉंसी			11/07				12/12				16/04
23	74	उप वन संरक्षक जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग उरई				12/08		11/10	11/11		13/02	12/03	16/04
24	76	प्रभागीय वनाधिकारी महोबा वन प्रभाग महोबा										12/03	
25	77	उपनिदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट					11/09						
26	81	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली						12/11					
27	82	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं	13/05					11/10	12/11	12/12			17/04
28	83	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग शाहजहाँपुर			12/07				12/11				
29	84	प्रभागीय वनाधिकारी पीलीभीत टाडगर रिजर्व पीलीभीत										11/03	
30	85	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग पीलीभीत											17/04
31	112	उपनिदेशक दुधवा टाडगर रिजर्व पलिया खीरी		11/06				11/10					17/04
32	114	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच			11/07				12/ 11	12/12			
33	152	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर	15/05						11/11	11/12		12/02	11/03
34	153	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग देवरिया							12/11			11/03	
35	154	प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर	13/05			13/08			12/11	12/12		11/03	
36	155	प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग कुशीनगर (पडरौना)									12/02	12/03	
37	156	निदेशक शहीद अशफाक उल्लाह खॉं प्राणी उद्यान गोरखपुर		11/06		12/08			12/11	12/12		11/02	
38	191	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर										13/02	12/03

39	193	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फरुखाबाद	13/05			12/08	12/09		11/11	11/12		11/02	12/03	
40	194	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर देहात	15/05											17/04
41	195	प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज												17/04
42	196	प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग औरैया		11/06									11/03	
43	221	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद								11/12			11/03	
44	222	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर	14/05						12/11	11/12			11/03	17/04
45	223	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर							11/11	12/12			11/03	
46	224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद				12/08		11/10				12/02	12/03	17/04
47	225	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमरोहा					12/09		11/11					
48	226	प्रभागीय वनाधिकारी संभल वन प्रभाग संभल	15/05	11/06	11/07	12/08	12/09		13/11	12/12		12/02	12/03	17/04
49	241	प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर									11/01		12/03	
50	251	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ							11/11					16/04
51	252	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद										12/02	11/03	
52	253	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलंदशहर	13/05						12/11				12/03	
53	255	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर							12/11			12/02		
54	257	प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर								11/12		12/02	12/03	
55	258	प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर नोएडा					12/09		12/11	12/12		12/02	12/03	17/04
56	342	मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक साल क्षेत्र उ०प्र० बरेली										11/02	12/03	
57	343	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक दक्षिण क्षेत्र उ०प्र० कानपुर							11/11				12/03	
58	344	मुख्य वन संरक्षक / वन वर्धनिक विध्यक्षेत्र रामनगर वाराणसी											11/03	
59	371	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या										13/02	12/03	
60	373	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अम्बेडकरनगर						11/10		12/12			12/03	
61	374	प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग गोंडा								11/12			12/03	

62	375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर	13/05										11/03	
63	376	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी	14/05						11/11					
64	377	प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती					11/09		11/11				11/03	
65	378	प्रभागीय वनाधिकारी अमेठी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमेठी							11/11					
66	411	प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर	14/05		12/07		12/09		11/11				11/03	16/04
67	412	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र							11/11	11/12			11/03	16/04
68	413	उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट वन प्रभाग रेनूकूट सोनभद्र							11/11					
69	414	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र							11/11				12/03	
70	415	प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन प्रभाग भदोही	16/05											
71	422	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजीपुर	15/05										11/03	
72	423	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर											11/03	
73	451	वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना उ०प्र० लखनऊ								12/12				
74	452	वन संरक्षक/निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर		11/06	11/07			11/10	11/11				12/03	
75	471	प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर											12/03	
76	472	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट आगरा											11/03	
77	473	प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्यजीव प्रभाग रामनगर वाराणसी							12/11					
78	521	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महाराजगंज			12/07	13/08	12/09					13/02	11/03	16/04
79	523	प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर		12/06					11/11					
80	551	प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर						11/10	11/11	11/12		13/02	11/03	
81	571	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग कासगंज	13/05						12/11	12/12		13/02	11/03	16/04
82	C01	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी वृत्त प्रयागराज							11/11					
83	C02	मुख्य वन संरक्षक प्रशासन (अराजपत्रित) उ०प्र० लखनऊ	14/05										11/03	

84	C04	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध क्षेत्र लखनऊ	12/06		13/08	12/09		13/11	11/12		13/02	12/03	17/04
85	C05	वन संरक्षक आजमगढ़ वृत्त आजमगढ़									13/02	11/03	
86	C06	वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा										11/03	17/04
87	C07	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त झाँसी	15/05		13/08	12/09	11/10				11/02	11/03	17/04
88	C08	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	14/05					11/11	12/12			11/03	
89	C10	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) लखनऊ				12/09	11/10				13/02	11/03	
90	C11	मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी									12/02		
91	C19	मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर							12/12				
92	C22	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद	13/05				11/10	11/11				11/03	
93	C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ					11/10	11/11				11/03	
94	C25	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ										12/03	
95	C27	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ										12/03	
96	C29	मुख्य वन संरक्षक (नियोजन) उ०प्र० लखनऊ		11/06	12/07		11/10						
97	C31	मुख्य वन संरक्षक प्रचार प्रसार लखनऊ							12/12			11/03	
98	C32	मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना उ०प्र० लखनऊ											16/04
99	C34	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान उ०प्र० कानपुर									12/02		16/04
100	C37	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू (क्षेत्र) वृत्त अयोध्या										12/03	
101	C38	मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण सेल/मानव संसाधन विकास उ०प्र० लखनऊ									13/02	11/03	
102	C39	प्रभागीय निदेशक प्रशिक्षण एवं सूचना रिपोर्टिंग लखनऊ		11/06	11/07	13/08		11/11	12/12		12/02		17/04
103	C40	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ									11/02		16/04
104	C41	मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर		11/06						11/01		11/03	

105	C42	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी										13/02	12/03	
106	C45	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ	13/05					11/10						
107	C47	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	13/05	13/06			12/09		12/11					
108	C48	मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन उ०प्र० लखनऊ											11/03	
109	C52	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा	16/05	12/06		13/08	12/09		12/11			13/02	12/03	17/04
110	C58	निदेशक इटावा सफारी पार्क इटावा							12/11				12/03	

अनुलग्नक-2

निम्नलिखित प्रभागों के मासिक लेखे 04 अथवा अधिक माहों में विलम्ब से प्राप्त हुए हैं।

क्रम सं०	कोड	प्रभाग का नाम
1	47	प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी
2	62	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी
3	63	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा
4	64	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा
5	65	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़
6	74	उप वन संरक्षक जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग उरई
7	82	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं
8	152	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर
9	154	प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर
10	156	निदेशक शहीद अशफाक उल्लाह खाँ प्राणी उद्यान गोरखपुर
11	193	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद
12	222	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर
13	224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद
14	226	प्रभागीय वनाधिकारी संभल वन प्रभाग संभल
15	258	प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्ध नगर नोएडा
16	411	प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर
17	412	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र
18	452	वन संरक्षक/निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर
19	521	प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महाराजगंज
20	551	प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर
21	571	प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग कासगंज
22	C04	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध क्षेत्र लखनऊ
23	C07	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त झाँसी
24	C08	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली
25	C10	मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र लखनऊ
26	C22	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद
27	C39	प्रभागीय निदेशक प्रशिक्षण सूचना एवं रिपोर्टिंग लखनऊ
28	C47	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर
29	C52	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा

अनुलग्नक-3

वृत्त/प्रभाग के नाम जिनके द्वारा वर्ष 2024-25 के डी0सी0एल0 ऑकड़ों का मिलान नहीं प्रेषित किया गया है-

क्रम सं०	कोड	वृत्त/प्रभाग का नाम
1	14	प्रभागीय वनाधिकारी कौशांबी वन प्रभाग कौशांबी
2	42	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग रायबरेली
3	62	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी
4	72	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर
5	74	उप वन संरक्षक जालौन सामाजिक वानिकी प्रभाग उरई
6	112	उपनिदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व पलिया खीरी
7	193	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद
8	194	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर देहात
9	195	प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज
10	221	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद
11	224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद
12	226	प्रभागीय वनाधिकारी संभल वन प्रभाग संभल
13	342	मुख्य वन संरक्षक वन वर्धनिक साल क्षेत्र उ०प्र० बरेली
14	452	वन संरक्षक/निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर
15	C01	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी वृत्त प्रयागराज
16	C04	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी अवध क्षेत्र लखनऊ
17	C06	वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा
18	C07	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त झाँसी
19	C11	मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी
20	C19	मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर
21	C22	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद
22	C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ
23	C27	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ
24	C29	मुख्य वन संरक्षक (नियोजन) उ०प्र० लखनऊ
25	C39	प्रभागीय निदेशक प्रशिक्षण सूचना एवं रिपोर्टिंग लखनऊ
26	C40	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ
27	C45	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ
28	C48	मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी जोन उ०प्र० बरेली
29	C52	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा

अनुलग्नक-4**वित्तीय वर्ष 2024-25 में मासिक रोकड़ लेखों में पायी गयी सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ-**

क्रम सं०	कोड	वृत्त/प्रभाग का नाम	सामान्य प्रकार की आपत्तियाँ
1	011	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर	1- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			3- वर्गीकृत सार में ए0जी0 प्रमाणक संख्या अंकित नहीं किये गये हैं।
			4- वर्गीकृत सार में सारांश का विवरण अंकित नहीं किया गया है।
			5- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
2	012	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़	1- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			3- वर्गीकृत सार में एजी प्रमाणक संख्या अंकित नहीं की गयी है।
			4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
3	013	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज	1- मासिक लेखे के साथ ई-11 संलग्न नहीं है।
			2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
			3- मासिक लेखे के साथ ई-11ए एवं एजी वाउचर नम्बर 22 संलग्न नहीं है।
4	014	प्रभागीय वनाधिकारी कौशाम्बी वन प्रभाग कौशाम्बी	1- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-13, ई-14 एवं ई-11 संलग्न नहीं है।
			3- प्रपत्रों पर फार्म संख्या अंकित नहीं पायी गयी।
			4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।

5	042	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग रायबरेली	1- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-13 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			3- प्रपत्रों पर फार्म संख्या अंकित नहीं पायी गयी।
			4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
6	043	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग उन्नाव	1- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ ई-13 संलग्न नहीं है।
			3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
7	047	प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिणी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी	1- मासिक लेखे के साथ ई-11 एवं ई-13 संलग्न नहीं है।
			2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
			3- मासिक लेखे में प्राप्ति पक्ष एवं व्यय पक्ष में मुख्य लेखाशीर्ष 8550 को नहीं दर्शाया गया है।
8	062	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनपुरी	1- मूल लेखा 4 दिन विलम्ब से प्राप्त कराया गया है।
			2- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट पर लेखाशीर्ष का वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
			3- मासिक लेखे के साथ ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
9	063	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा	1- मूल लेखा 6 दिन विलम्ब से प्राप्त कराया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-14 में धनराशि त्रुटिपूर्ण अंकित पाया गया है।
			3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
10	066	प्रभारी निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद	1- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।

11	067	प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस	1- मूल लेखा एक दिन विलम्ब से प्राप्त कराया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ ई-6 एवं ई-13 संलग्न नहीं है।
			3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
12	083	प्रभागीय वनाधिकारी वन्य जीव प्रभाग शाहजहाँपुर	1- चालान की छायाप्रति प्रमाणित नहीं है।
			2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
			3- मासिक लेखे के साथ ई-11, ई-13 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			4- मासिक लेखे के प्रपत्र ई-7 पर लेखाशीर्ष 8782, 8443 एवं 8550 का उल्लेख नहीं किया गया है।
13	191	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर	1- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट पर लेखाशीर्ष वर्गीकरण अपूर्ण अंकित किया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-11, ई-13 एवं ई-14 संलग्न नहीं पाये गये।
			3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
			4- मासिक लेखे के प्रपत्र ई-7 पर लेखाशीर्ष 8782, 8443 एवं 8550 का उल्लेख नहीं किया गया है।
14	192	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा	1- प्रपत्र ई-7 कैश एकाउन्ट त्रुटिपूर्ण तैयार किया गया है।
			2- मासिक लेखे के साथ प्रपत्र ई-13, सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
			3- मासिक लेखा प्रपत्र ई-7 पर लेखाशीर्ष 8782, 8443 एवं 8550 का उल्लेख नहीं किया गया है।
15	193	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद	1- मासिक लेखे के साथ ई-11, ई-6, ई-11ए, ई-13 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
16	194	प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात	1- मासिक लेखे के साथ ई-11 प्रपत्र त्रुटिपूर्ण पाया गया है।
			2- आय एवं व्यय के वर्गीकृत सार पर प्रपत्र संख्या त्रुटिपूर्ण पायी गयी।
			3- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।

17	225	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग अमरोहा	1- मासिक लेखे के साथ ई-11, ई-11ए, ई-13 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			2- मासिक लेखा प्रपत्र ई-7 पर लेखाशीर्ष 8782, 8443 एवं 8550 का उल्लेख नहीं किया गया है।
			3- मासिक लेखे के साथ संलग्न चालान फोटो प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है।
18	226	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग सम्भल	1- मासिक लेखे के साथ ई-11 एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
			3- मासिक लेखे के साथ संलग्न चालान फोटो प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है।
19	257	प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर	1- मासिक लेखे के साथ ई-6 एवं ई-13 संलग्न नहीं है।
			2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
20	413	प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट वन प्रभाग सोनभद्र	1- मासिक लेखे के साथ ई-6 एवं ई-13 संलग्न नहीं है।
			2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
21	473	प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्यजीव प्रभाग रामनगर वाराणसी	1- मासिक लेखा माह 02/2025 के साथ ई-11ए त्रुटिपूर्ण संलग्न पाया गया।
22	521	प्रभागीय वनाधिकारी वन्यजीव प्रभाग सोहगीबरवा महाराजगंज	1- मासिक लेखे के साथ ई-11, ई-11ए एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			2- मासिक लेखा माह 01/2025 के साथ चालान संलग्न नहीं पाया गया।
			3- प्रपत्र ई-11ए एवं ए0जी0 वाउचर संलग्न नहीं पाया गया।
			4- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।
23	C-58	निदेशक इटावा सफारी पार्क इटावा	1- मासिक लेखा प्रपत्र ई-7 पर लेखाशीर्ष 8782, 8443 एवं 8550 का उल्लेख नहीं किया जाता।
			1- मासिक लेखे के साथ संलग्न वाउचर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है।
24	C-25	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र मेरठ	1- मासिक लेखे के साथ ई-11, ई-11ए एवं ई-14 संलग्न नहीं है।
			2- सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 संलग्न नहीं पाये गये।

अनुलग्नक :- 5

निम्नलिखित प्रभागों के वन जमा बृहतपत्र (8443-00-109) में माह 03/2025 में अन्तिम अवशेष धनराशि ऋणात्मक दर्ज पायी गयी है :-

क्रम सं०	कोड	प्रभाग का नाम	धनराशि
1	FRD-012	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़	-24,215,200.00
2	FRD-063	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा	-27,821,751.00
3	FRD-066	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद	-7,034,196.00
4	FRD-076	प्रभागीय वनाधिकारी महोबा वन प्रभाग महोबा	-23,076,009.00
5	FRD-077	उपनिदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट	-16,932,113.00
6	FRD-114	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच	-4,065,818.00
7	FRD-191	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर	-11,682,137.39
8	FRD-193	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रुखाबाद	-1,005,230.58
9	FRD-195	प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज	-15,774,384.00
10	FRD-224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	-2,250,643.00
11	FRD-241	प्रभागीय वनाधिकारी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर	-3,655,086.00
12	FRD-375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर	-5,210,691.00
13	FRD-423	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर	-44,606,947.00
14	FRD-451	वन संरक्षक लुप्तप्राय परियोजना उ०प्र० लखनऊ	-16,609,047.00
15	FRD-472	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट आगरा	-32,674,753.00
16	FRD-551	प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर	-9,419,787.00
17	FRD-C08	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	-7,000.00
18	FRD-C15	मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर	-2,198,374.00
19	FRD-C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ	-2,183,825.00
20	FRD-C27	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ	-599,921.00
21	FRD-C35	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी उ०प्र० लखनऊ	-9,962,726.00
22	FRD-C40	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ	-2,194,495.00
23	FRD-C45	प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ	-26,000.00
24	FRD-C47	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र० कानपुर	-233,000.00

अनुलग्नक :-6

निम्नलिखित प्रभागों के वन अग्रिम बृहतपत्र (8550-00-101) में माह 03/2025 में अन्तिम अवशेष धनराशि ऋणात्मक दर्ज पायी गयी है :-

क्रम सं०	कोड	प्रभागों के नाम	अन्तिम अवशेष
1	FRD-011	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग फतेहपुर	-681,737.00
2	FRD-012	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग प्रतापगढ़	-37,316.00
3	FRD-013	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज	-2,713,376.71
4	FRD-014	प्रभागीय वनाधिकारी कौशांबी वन प्रभाग कौशांबी	-569,992.00
5	FRD-041	प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग लखनऊ	-22,331,544.00
6	FRD-043	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग उन्नाव	-0.51
7	FRD-047	प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग लखीमपुर खीरी	-717,735.00
8	FRD-052	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया	-4,511,276.85
9	FRD-053	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मऊ	-18,952,328.00
10	FRD-061	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा	-2,402,223.58
11	FRD-063	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मथुरा	-7,789,561.00
12	FRD-065	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़	-3,095,648.14
13	FRD-075	प्रभागीय वनाधिकारी बांदा वन प्रभाग बांदा	-46,408,396.36
14	FRD-076	प्रभागीय वनाधिकारी महोबा वन प्रभाग महोबा	-154,711,683.70
15	FRD-077	उपनिदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग चित्रकूट	-50,624,314.54
16	FRD-081	प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग बरेली	-3,753,029.00
17	FRD-082	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं	-109,144.00
18	FRD-114	प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच	-5,622,806.68
19	FRD-191	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर	-212,666.29
20	FRD-194	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर देहात	-104,998.67
21	FRD-222	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर	-1,936,802.00
22	FRD-223	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर	-4,060,538.55
23	FRD-224	प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद	-93,644.00
24	FRD-374	प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग गोंडा	-64,141.33
25	FRD-375	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुल्तानपुर	-333,393.44
26	FRD-377	प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती	-6,153,470.00

27	FRD-412	प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र	-10,120,096.64
28	FRD-414	प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र	-3,897,833.35
29	FRD-423	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर	-1,069,750.00
30	FRD-551	प्रभागीय वनाधिकारी संतकबीरनगर वन प्रभाग संतकबीरनगर	-9,284,432.00
31	FRD-C08	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त बरेली	-312,116.00
32	FRD-C22	वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद	-19,860.46
33	FRD-C23	मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उ०प्र० लखनऊ	-59,869.92
34	FRD-C37	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू (क्षेत्र) वृत्त अयोध्या	-12,000.00
35	FRD-C40	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ	-940.00
36	FRD-C42	वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी	-24.51
37	FRD-C52	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पूर्वी) गोंडा	-42,228.00

अनुलग्नक-7

31/03/2025 तक अन्तिम भुगतान प्रकरण के ऋणात्मक धनराशि की सूची -						
क्रम संख्या	नाम	लेखा संख्या	(-) की धनराशि	अन्तिम कार्यालय का नाम	ऋणात्मक धनराशि आने का कारण	कृत कार्यवाही
1	के०सी० भटनागर	एफ०यू० 2160	26320	प्र०नि०सा०वा०, बुलन्दशहर	वर्ष 78-79 में प्रा. अवशेष त्रुटिपूर्ण होना तथा 85-86 में 12000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 05.03.1998, 03.11.2017, 05.01.2022, 16.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
2	रामानन्द त्यागी	एफ०यू० 2895	6455	प्र० नि०सा०वा०, गाजियाबाद	5000/- का आहरण माह 02/1978 में न घटाया जाना।	दिनांक 24.3.1993, 03.11.2017, 29.12.2021 एवं 29.11.2023 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
3	स्व० गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	एफ०यू० 2916	43717	प्र०वनाधिकारी, हरदोई	वर्ष 1987-88 में 31000/- का आहरण घटाए बिना 90% भुगतान विभाग द्वारा किया जाना।	दिनांक 04.7.1994, 03.11.2017, 05.01.2022, 16.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
4	बंश बहादुर सिंह	एफ०यू० 3035	24043	प्र०वनाधिकारी, प्रतापगढ़	10000/- का आहरण माह 03/1986 में न घटाया जाना।	दिनांक 29.2.1996 से दिनांक 03.11.2017, 16.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
5	उमा शंकर लाल श्रीवास्तव	एफ०यू० 3096	5006	प्र०वनाधिकारी, हरदोई	वर्ष 88-89 की लेखापर्ची के आधार पर 90% का भुगतान किया जाना जबकि वर्ष 1988-89 में 9000/- तथा वर्ष 1984-85 में 2500/- के आहरण लुप्त थे।	दिनांक 05.07.1994, 03.11.2017, 06.01.2022, 16.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।

6	स्व0 आगा मोहम्मद नाजिम	एफ0यू0 3560	3299	प्र0 वनाधिकारी, उत्तरी गोंडा	1977-78 में 1500/- तथा 1985-86 में 2000/- के आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 27.3.1993 , 03.11.2017 , 29.12.2021, 21.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
7	प्रहलाद सिंह	एफ0यू0 3562	3267	प्र0 वनाधिकारी, दक्षिणी गोरखपुर	माह 08/1974 में 1000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 30.11.1992 से दिनांक 10.04.2017 तक विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये। कोर्ट केस
8	सत्य नारायण सिंह	एफ0यू0 4149	13258	प्र0 वनाधिकारी, ओबरा	1978-79 में 1000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 22.4.1991 , 03.11.2017 , 06.01.2022, 16.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
9	प्रेम नारायण तिवारी	एफ0यू0 4314	2382	प्र0 नि0 सा0 वा0 कानपुर	1985-86 में प्रा. अवशेष 7418/- के स्थान पर त्रुटिपूर्ण प्रा. अवशेष 10369/- लेकर 90% भुगतान किया जाना।	दिनांक 10.07.1991 , 03.11.2017 , 05.01.2022, 16.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
10	ओम प्रकाश	एफ0यू0 6459	16854	प्र0 नि0 सा0 वा0 मथुरा	3744/- का आहरण अंकित किए बिना 90% का भुगतान किया जाना।	
11	रघुवीर सिंह	एफ0यू0 7167	14092	प्र0 नि0 सा0 वा0 मुरादाबाद	वर्ष 1981-82 में अंतिम अवशेष 1036/- के विरुद्ध 3000/- का आहरण जिसके कारण 90% में अधिक भुगतान किया जाना।	दिनांक 05.01.1994 से दिनांक 03.11.2017 , 16.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।

12	वी०सी० गुजराल	एफ०यू० 7173	7084	प्र०वनाधिकारी, झांसी	इस कार्यालय में आहरण 1500/- स्वीकृत आदेश सं. 4383(1)-4(2) दिनांक 30.01.76 लुप्त होना।	
13	गोपाल त्रिपाठी	एफ०यू० 7625	7198	प्र०वनाधिकारी, रेनुकूट	वार्षिक लेखाबन्दी में विभाग द्वारा अधिक धनराशि अंकित किया जाना।	
14	स्व० ए०एन०सिंह	एफ०यू० 7629	7312	प्र०वनाधिकारी, सोनभद्र	13000/- का आहरण स्वीकृत किन्तु अभिदाता के खाते में इतनी धनराशि उपलब्ध न होना।	
15	मो० नकी	एफ०यू० 8817	13564	प्र०वनाधिकारी, पूर्वी बहराइच	दि. 12.03.84 को 6350/- का आहरण स्वीकृत जिसको घटाने पर पासबुक में धनराशि ऋणात्मक आ गयी।	दिनांक 23.3.1993 से दिनांक 03.11.2017 , 29.11.2023 एवं 12. 09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
16	राम जनम सिंह	एफ०यू० 9106	4289	प्र०वनाधिकारी, ओबरा	वर्ष 81-82 में 2000/- का आहरण न घटाया जाना।	दिनांक 22.3.1993 से दिनांक 03.11.2017 , 16.11.2023 एवं 12. 09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये
17	राम सनेही	एफ०यू० 12552	7532	प्र० नि० सा० वा० मथुरा	माह 05/1995 में 42345/- के स्थान पर 48939/- का भुगतान 90% के रूप में किया जाना।	दिनांक 29.5.1995 , 03.11.2017, 06.01.2022, 16.11. 2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
18	स्व० कुंज बिहारी लाल	एफ०यू० 14515	12175	प्र०वनाधिकारी, रेनुकूट	माह 09/1997 में उपलब्ध धनराशि 70967/- के स्थान पर 83142/- का भुगतान 90% के रूप में किया	दिनांक 17.07.2001 , 03.11.2017 , 29.12.2021, 16.11. 2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक

					जाना।	प्रेषित किये गये।
19	राम हरख	एफ0यू0 11435	62174	एन0सी0एस0 पी0 आगरा	वर्ष 1988-89 में 3000/- का आहरण न घटाया जाना तथा 90% भुगतान बिना मिलान के किया जाना।	दिनांक 20.08.2014 से दिनांक 03.11.2017 , 16.11.2023 एवं 12.09.2025 को विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये गये।
20	सत्यपाल सिंह	एफ0यू0 20938	70138	प्र0वनाधिकारी, शामली	वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह 11/2021 के आहरण रू0 1 लाख को लेखाबंदी में घटाये बिना 90% धनराशि का भुगतान किया जाना।	16 अगस्त 2023 को पत्र भेजा गया।
योग			350159			

अनुलग्नक-8

वन विभाग का वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक का व्यय निम्न प्रकार है-

		2019-20			2020-21		
अनु० संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)
10	2406 02 112	477,714,000.00	436,277,655.00	(-)41436345.00	540,875,000.00	470,155,748.00	(-)70719252.00
	4406 02 112	23,735,000.00	23,735,000.00	0.00	9,020,000.00	9,000,000.00	(-)20000.00
60	2406 01 001	8,124,506,000.00	5,836,038,251.00	(-)2288467749.00	8,377,441,000.00	5,221,040,545.00	(-)3156400455.00
	2406 01 070	10,000,000.00	9,998,910.00	1,090.00	10,000,000.00	9,973,674.00	(-)26326.00
	2406 01 101	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	16,772,000.00	17,589,829.00	(+) 817829.00
	2406 01 102	126,361,000.00	4,852,658.00	(-)121508342.00	20,098,000.00	5,759,581.00	(-)14338419.00
	2406 01 105	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0
	2406 01 800	23,617,000.00	19,831,306.00	(-)3785694.00	25,199,000.00	22,079,190.00	(-)3119810.00
	2406 02 110	274,765,000.00	256,676,667.00	(-)18088333.00	392,982,000.00	256,996,831.00	(-)135985169.00
	2406 02 111	71,000,000.00	83,500,000.00	(+)12500000.00	71,200,000.00	105,613,987.00	(+) 34413987.00
	2406 04 103	2,000,000,000.00	623,154,301.00	(-)1376845699.00	2,751,650,000.00	2,491,135,117.00	(-)260514883.00
	2407 60 800	86,580,000.00	46,939,784.00	(-)39640216.00	90,120,000.00	49,699,019.00	(-)40420981.00
	4406 01 101	3,500,000.00	3,499,699.00	(-)301.00	3,500,000.00	3,499,989.00	(-)11.00
	4406 01 102	7,185,587,000.00	5,742,105,427.00	(-)1443481573.00	3,834,869,000.00	3,760,479,121.00	(-)74389879.00
	4406 01 800	44,697,000.00	30,536,336.00	(-)14160664.00	45,970,000.00	9,999,375.00	(-)35970625.00
	4406 02 110	333,811,000.00	171,893,636.00	(-)161917364.00	382,696,000.00	78,544,573.00	(-)304151427.00
81	4406 02 111	1,004,000,000.00	1,004,000,000.00	0.00	404,000,000.00	283,063,264.00	(-)120936736.00
	4406 01 796	17,432,000.00	6,109,030.00	(-)11322970.00	7,036,000.00	5,801,566.00	(-)1234434.00
83	2406 01 796	8,668,000.00	8,000.00	(-)8660000.00	88,000.00	6,954.00	(-)81046.00
	4406 01 789	554,989,000.00	164,807,961.00	(-)390181039.00	277,436,000.00	88,337,258.00	(-)189098742.00
	2406 01 789	24,805,000.00	382,705.00	(-)24422295.00	2,450,000.00	265,086.00	(-)2184914.00
	योग	20,401,267,000.00	14,469,847,326.00	-5,931,419,674.00	17,264,402,000.00	12,890,040,707.00	(-)4,374,361,293.00

		2021-22			2022-23		
अनु0 संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)
10	2406 02 112	560,231,000.00	487,571,848.00	(-)72659152.00	590,314,000.00	514,333,395.00	(-)75,980,605.00
	4406 02 112	9,020,000.00	0	(-)9020000.00	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00
60	2406 01 001	8,635,559,000.00	5,420,482,719.00	(-)3215076281.00	8,658,102,000.00	5,761,963,592.00	(-)2,896,138,408.00
	2406 01 070	10,000,000.00	9,868,126.00	(-)131874.00	160,000,000.00	119,663,700.00	(-)40,336,300.00
	2406 01 101	4,500,000.00	4,499,970.00	(-)30.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
	2406 01 102	16,476,000.00	5,459,473.00	(-)11016527.00	12,501,000.00	984,954.00	(-)11,516,046.00
	2406 01 105	1,000,000.00	999,344.00	(-)656.00	1,000,000.00	978,696.00	(-)21,304.00
	2406 01 800	36,880,000.00	7,738,007.00	(-)29141993.00	67,023,000.00	7,817,545.00	(-)59,205,455.00
	2406 02 110	465,301,000.00	221,621,631.00	(-)243679369.00	500,522,000.00	371,163,092.00	(-)129,358,908.00
	2406 02 111	95,200,000.00	143,057,765.00	(+) 47857765.00	595,830,000.00	383,659,384.00	(-)212,170,616.00
	2406 04 103	6,000,000,000.00	3,589,041,436.00	(-)2410958564.00	6,000,000,000.00	2,317,442,318.00	(-)3,682,557,682.00
	2407 60 800	93,235,000.00	50,506,257.00	(-)42728743.00	99,615,000.00	57,449,486.00	(-)42,165,514.00
	4406 01 101	3,500,000.00	3,329,958.00	(-)170042.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
	4406 01 102	5,281,608,000.00	5,335,571,183.00	(+) 53963183.00	9,291,740,000.00	8,733,124,386.00	(-)558,615,614.00
	4406 01 800	29,025,000.00	25,000,000.00	(-)4025000.00	78,405,000.00	62,499,270.00	(-)15,905,730.00
	4406 02 110	360,752,000.00	32,595,500.00	(-)328156500.00	404,265,000.00	82,358,167.00	(-)321,906,833.00
	4406 02 111	12,689,000.00	12,689,000.00	0	132,241,000.00	123,128,000.00	(-)9,113,000.00
81	4406 01 796	8,651,000.00	6,634,676.00	(-)2016324.00	25,757,000.00	23,416,956.00	(-)2,340,044.00
	2406 01 796	180,000.00	14,000.00	(-)166000.00	176,000.00	0	(-)176,000.00
83	4406 01 789	198,452,000.00	177,264,039.00	(-)21187961.00	207,633,000.00	150,088,572.00	(-)57,544,428.00
	2406 01 789	1,961,000.00	503,828.00	(-)1457172.00	2,044,000.00	0	(-)2,044,000.00
	योग	21,824,220,000.00	15,534,448,760.00	(-)6,289,771,240.00	26,844,188,000.00.00	18,727,091,513.00.00	(-)8,117,096,487.00

2023-24					2024-25		
अनु० संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)	बजट धनराशि	व्यय	अधिक (+)/बचत (-)
10	2406 02 112	622,838,000.00	512,785,509.00	-110052491.00	662,332,000.00	512,972,762.00	-149,359,238.00
	4406 02 112	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00	133,253,000.00	132,300,000.00	-953,000.00
60	2406 01 001	8173590000	6,154,197,163.00	-2019392837.00	8,804,469,000.00	6,342,126,354.00	-2,462,342,646.00
	2406 01 070	160,000,000.00	159,964,744.00	-35256.00	160,000,000.00	159,080,474.00	-919,526.00
	2406 01 101	8,000,000.00	7,800,000.00	-200000.00	32,528,000.00	8,691,000.00	-23,837,000.00
	2406 01 102	9,915,000.00	3,512,000.00	-6403000.00	13,007,000.00	3,582,000.00	-9,425,000.00
	2406 01 105	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,991,200.00	-8,800.00
	2406 01 800	66,143,000.00	65,966,926.00	-176074.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	2406 02 110	610,817,000.00	297,189,745.00	-313627255.00	721,048,000.00	426,558,825.00	-294,489,175.00
	2406 02 111	139,700,000.00	143,640,664.00	3940664.00	158,735,000.00	159,721,963.00	986,963.00
	2406 04 103	2,503,750,000.00	1,668,389,332.00	-835360668.00	1,576,250,000.00	1,466,964,872.00	-109,285,128.00
	2407 60 800	73,185,000.00	48,805,815.00	-24379185.00	25,000.00	3,429,550.00	3,404,550.00
	4406 01 101	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	8,573,000.00	5,655,996.00	-2,917,004.00
	4406 01 102	9,524,449,000.00	8,553,032,557.00	-971416443.00	9,850,087,000.00	9,399,329,440.00	-450,757,560.00
	4406 01 800	133,178,000.00	51,308,363.00	-81869637.00	195,074,000.00	0.00	-195,074,000.00
	4406 02 110	736,779,000.00	71,526,714.00	-665252286.00	692,785,000.00	104,970,636.00	-587,814,364.00
	4406 02 111	1,000,000.00	21,000,000.00	20000000.00	250,001,000.00	100,000,000.00	-150,001,000.00
81	4406 01 796	30,461,000.00	28,150,000.00	-2311000.00	32,990,000.00	30,965,000.00	-2,025,000.00
	2406 01 796	161000	0	-161000.00	175,000.00	0.00	-175,000.00
83	4406 01 789	346,694,000.00	313,542,719.00	-33151281.00	508,325,000.00	479,315,310.00	-29,009,690.00
	2406 01 789	894000	141000	-753000.00	935,000.00	300,000.00	-635,000.00
	योग	23,157,574,000.00	18,116,973,251.00	-5,040,600,749.00	23,802,612,000.00	19,337,955,382.00	-4,464,656,618.00

© महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश प्रयागराज

<https://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en>